बम की अफवाह

न्यायालय परिसर की सुरक्षा सुधरी

ओडॉ. एस.के. शर्मा, एडवोकेट

स्वतंत्र दिवस के चन्द दिन पहले लखनऊ जिला एवं सत्र न्यायालय में बम की सूचना ने एक बार फिर दहशत का माहौल पैदा कर दिया। इस घटना ने एक बार फिर न्यायालयों की सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल दी है।

जिला एवं सत्र न्यायालय भवन में सीढ़ी के नीचे चाय की केतली में रखे चार सुतली बम वहां के सफाई कर्मी को दिखाई पड़े जिसकी सूचना उसने चौकीदार को दी तथा आनन फानन में यह खबर पूरे कोर्ट परिसर में फैल गयी। यद्यपि कि बम की सूचना मात्र एक अफवाह निकली क्यों कि फोरेंसिक रिपोर्ट में लखनऊ के एसएसपी आर.के. चतुर्वेदी के अनुसार केतली में पेपर में ईंट लपेट कर रखा गया था। किसी शरारती तत्व ने भय पैदा करने के इरादे से यह काम किया था।

कोर्ट परिसर में सुतली बम मिलने की सूचना पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कमल किशोर शर्मा ने घटना स्थल का मुआयना करने के बाद पूरे न्यायालय परिसर का भ्रमण किया तथा सुरक्षा बंदोबस्त के बारे में जानकारी लेते हुए मौजूद कर्मचारियों एवं अधिवक्ताओं से इसके बारे में बात की।

उन्होंने अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एस.एन. अग्निहोत्री नजारत के इंचार्ज अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जी.पी. तिवारी तथा मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी राजेश उपाध्याय के साथ मीटिंग कर परिसर की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए इस बात पर जोर दिया कि पहले भी ऐसी घटनाएं हो चुकी तथा अभी चन्द दिनों बाद स्वतंत्रता दिवस भी आ रहा है इसलिए तत्काल सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता करने की आवश्यकता है।

परिसर की सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने एक प्रशासनिक आदेश जारी करके पुलिस प्रशासन व नजारत विभाग को प्रमुख बिन्दुओं पर अमल करने का आदेश दिया जिसके अनुसार-

- न्यायलय परिसर में केवल चार गेट ही आवागमन के लिए खोले जायें।
- दुपहिया वाहनों को न्यायालय परिसर में प्रवेश व पार्किंग से सख्ती से राका जाय।
- न्यायालय परिसर के प्रवेश व निकास के हर गेट पर दो सशस्त्र पुलिस के जवान तैनात हो।
- सुरक्षाकर्मी व पुलिस अधिकारी संदिग्ध लोगों की जांच करें।
- इंस्पेक्टर वजीरगंज व न्यायालय चौकी प्रभारी न्यायालय परिसर के बाहर पार्किंग संचालकों को सख्त निर्देश देकर सुनिश्चित कराएं कि किसी भी वाहन पर यदि संदिग्ध टिफिन, बैग दिखे या किसी संदिग्ध व्यक्ति द्वारा वाहन खड़ा किया जा रहा है तो उसकी सूचना तत्काल थाने पर दें।
- न्यायालय परिसर के अंदर चाय, पान अथवा अन्य किसी उत्पाद के अवैध वेंडर का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित हो तथा नजारत विभाग के कार्यालय प्रभारी तत्काल अवैध वेंडर व अनाधिकृत व्यक्ति की जांच अवश्य कराएं।
- अधिवक्ताओं, स्टांप वेंडरों और कर्मचारियों के लिए पास अथवा टोकन की व्यवस्था की जाय ताकि जरूरत पड़ने पर उनके वाहनों को आसानी से चिन्हित किया जा सके।
- न्यायालय परिसर में प्रवेश के लिए उपयुक्त पास की व्यवस्था की जाय।
- न्यायालय परिसर में शाम सात बजे के बाद किसी को भी रुकने की अनुमति नहीं होगी।
- इंस्पेक्टर वजीरगंज सुतली बम की जांच आख्या तुरन्त उपलब्ध करायें।
- दोनो अधिवक्ता बार एसोसिएशन के अध्यक्ष व महामंत्री भी न्यायालय परिसर में वाहन व प्रवेश पत्रों के बार में अपनी राय दें।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश अमितावा लाला लखनऊ पीठ के वरिष्ठ न्यायमूर्ति उमानाथ सिंह व जिला जज के.के. शर्मा व अन्य के साथ

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश घटना का मुआयना करते हुए

न्यायालय परिसर की सुरक्षा व्यवस्था को चुस्त दुरस्त करने एवं मुख्य न्यायाधीश इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निरीक्षण के उद्देश्य से जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने एक दिन बाद पुनः बैठक करके सुरक्षा व्यवस्था पर जायजा लिया तथा उससे संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए न्यायालय परिसर से अवैध निर्माण व अतिक्रमण को हटवा दिया तथा अधिवक्ताओं के अवैध चैम्बर हटाने के लिए बार एसोसियेशन को पत्र लिखा। इस मीटिंग के बाद जिला जज ने विशेष जज (ई.सी.एक्ट) बी.डी. मिश्रा, इंचार्ज नजारत एडीजे जी.पी. तिवारी, मुख्य दण्डाधिकारी राजेश उपाध्याय, ए.एस.पी. ट्रैफिक अरविंद सेन एवं चीफ इंस्पेक्टर नगर निगम के साथ न्यायालय परिसर तथा परिसर के बाहर गेट नं. २ से ४ तक का निरीक्षण किया तथा जो आवश्यक दिशा निर्देश दिए उनमें अतिक्रमण हटाने, रेजीडेंसी की ओर मूत्रालय बनाने, रोडवेज वर्कशाप के पास स्लैव डालकर पार्किंग बनाना प्रमुख है तथा इसी के साथ-साथ दोनो बार एसोसिएशनों (लखनऊ एवं सेन्ट्रल) को भी पत्र लिखा कि दीवानी न्यायालय परिसर की बांउड्रीवाल के पास बने अधिवक्ता चैम्बर्स को उचित स्थान पर स्थानान्तरित करायें।

अगले दिन इलाहाबाद उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश अमितावा लाला कोलकाता से सीधे लखनऊ पंहुचें तथा इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खण्डपीठ के वरिष्ठ न्यायमूर्ति उमानाथ सिंह एवं जिला एवं सत्र न्यायाधीश कमल किशोर शर्मा के साथ जिला न्यायालय परिसर के साथ घटना स्थल का निरीक्षण किया तथा ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सुरक्षा व्यवस्था के मसौदो को मंजूरी दी।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश अमितावा लाला के जिला एवं सत्र न्यायालय पहुंचने पर सर्व प्रथम गार्ड ऑफ आनर दिया गया उसके बाद लखनऊ पीठ के वरिष्ठ न्यायमूर्ति उमानाथ सिंह ने बुके भेंटकर उनका स्वागत किया। इस अवसर पर मुख्य न्यायाधीश तथा वरिष्ठ न्यायमूर्ति के साथ जिला जज के.के. शर्मा, मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी राजेश उपाध्याय, अन्य न्याययिक अधिकारीगणों के साथ-साथ उच्च न्यायालय की लखनऊ खण्डपीठ की रजिस्ट्री के अधिकारीगण तथा जिला प्रशासन के जो अधिकारीगण मौजूद थे उनसे न्यायालय परिसर की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए गहन विचार विमर्श के बाद जिले के प्रशासनिक अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के दिशा-निर्देश के बाद नयी सुरक्षा व्यवस्था का प्लान चाक आउट किया गया है उसके अनुसार-

- न्यायालय परिर के आवागमन के चारों द्वारों पर मेटल डिटेक्टर डोर लगेंगे।
- अधिवक्ताओं व न्यायालय के कर्मचारियों को परिचय पत्र के जरिये ही प्रवेश मिलेगा।
- वादकारियों तथा अन्य बाहरी लोगों का प्रवेश पास के जरिये होगा।
- १०० सी.सी. टी.वी. कैमरे निगरानी के लिए लगाये जायेंगे।
- पुलिस औचक निरीक्षण करके अवांछित तत्वों की जांच करेगी।
- पार्किंग की उचित व्यवस्था होगी।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के निरीक्षण की पूर्व सूचना न देने के कारण लखनऊ बार एसोसिएशन व सेंट्रल बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने अगले दो दिन कार्य बहिष्कार करते हुए यह आरोप लगाया कि अपनी कमियों को छुपाने के लिए हम लोगों को मुलाकात से वंचित रखा गया तथा जानबूझकर छुट्टी का दिन मुख्य न्यायाधीश के दौरे के लिए चुना गया। मुख्य न्यायाधीश को परिसर व उसके बाहर की असली तस्वीर तो तब दिखती जब वे कार्य के दिन आते।

यह घटना मात्र एक शरारत निकली लेकिन इससे न्यायालय परिसर को फायदा बहुत हो गया। इस घटना का ही परिणाम है कि कूड़ा कचरा बिल्कुल साफ हो गया तथा अनावश्यक अतिक्रमण भी हट गया। अब देखना यह है कि इसका असर कितने दिनों तक रहता है क्योंकि उसके पहले सन् २००७ में दो आतंकी न्यायालय से भागने से सफल हो गये तथा नवम्बर २०११ में भी इस परिसर में बम धमाके हो चुके हैं और उस समय भी ऐसी ही मीटिंगें हुई थी, कार्य योजना बनी थी कुछ दिन चली फिर टायं-टायं फिस्स और यह घटना।❑